

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-12/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2026

डा0(श्रीमती) पूजा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(शिशु रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजापाकर, वैशाली के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि दिनांक 30.10.2025 से 27.04.2026 तक कुल-180(एक सौ अस्सी) दिन को वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-12/2026-

511(2)

पटना, दिनांक 6/3 / 2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ असेैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजापाकर, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली/ डा0(श्रीमती) पूजा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(शिशु रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजापाकर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।